भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2691
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा

†2691. **श्री सुब्बारायण के.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली से अनावश्यक तनाव और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में लोकप्रिय कोचिंग केंद्रों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2024 के दौरान कोटा और अन्य लोकप्रिय कोचिंग केंद्रों में तनाव के कारण की गई आत्म हत्या के मामले और संख्या कितनी है; और
(ग) देश में प्रवेश परीक्षाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए वर्तमान प्रणाली में नवाचार लाने के लिए क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई है। वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए 250 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।

एनटीए एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) और प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (बी.ई./बी.टेक.) में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई (मेन) आयोजित करता है। जेईई (मेन), जेईई (एडवांस्ड) के लिए भी एक पात्रता परीक्षा है, जो आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

एनटीए देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में अवर स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य और समान राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा के रूप में नीट (यूजी) भी आयोजित करता है।

उपरोक्त परीक्षाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती हैं तथा विभिन्न बोर्डों, जिनमें से प्रत्येक बोर्ड की अंक प्रणाली भिन्न है, उनको विभिन्न विषय से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती हैं।

देश में दुर्घटनाजन्य मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में दुर्घटनाजन्य मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। छात्रों की आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण एडीएसआई की वर्ष-वार रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर उपलब्ध है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या के विभिन्न कारण हैं जैसे व्यवसाय/करियर संबंधी समस्याएं, अकेलेपन की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराना दर्द आदि। एडीएसआई 2022 के अनुसार आत्महत्या के कारणों में 'परीक्षा में असफलता' 1.2% और कुल आत्महत्या मामलों में छात्र आत्महत्या का हिस्सा 7.6% है।

देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने, जिससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव उत्पन्न होता है तथा इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य गलत प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग केंद्रों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से नवंबर 2023 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी (स्व-मूल्यांकन, परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं हेतु सहायता) शुरू किया। यह प्लेटफॉर्म जेईई, नीट, एसएससी, आईबीपीएस, आईसीएआर और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। दिनांक 16 मार्च 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 10.9 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

*****